बिहार सरकार
वित्त विभाग

-:: निविदा सूचना ::-

वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालय भवनों/परिसरों की सफाई कार्य श्रमिक संविदा के आधार पर कराने के निमित्त मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है । मुहरबंद निविदा **प्रकाशन की तिथि से दिनांक- 21-10-2019 के अपराह्न 5:00 बजे तक** निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जाएगा । प्राप्त निविदाओं को **दिनांक- 22-10-2019 को अपराह्न 3:00 बजे** विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं । निविदा के संबंध में आवश्यक सूचनायें एवं प्रमुख शर्तें वित्त विभाग के बेवसाइट **http://finance.bih.nic.in** पर उपलब्ध है । इस संबंध में अवर सचिव (लेखा), वित्त विभाग से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या-0612-2217101 पर संपर्क कर किसी बिंदु पर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

26/09/2019

(विकाश कुमार पाण्डेय)
अवर सचिव (लेखा),
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

अवर सचिव
-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
वित्त विभाग, बिहार, पटना

वित्त विभाग के भवनों/परिसरों की सफाई संबंधी आवश्यक सूचनायें

1. वित्त विभाग के अधीन सफाई हेतु भवनों/परिसरों की सूचीः-

तालिका-1

क्रम सं0	कार्यालय/आवासीय कार्यालय का नाम	परिसर का प्रकार	अनुमानित सफाई कर्मी की संख्या
1.	माननीय उपमुख्य (वित्त) मंत्री का आवासीय कार्यालय, पोलो रोड, पटना	आवासीय	3
2.	सचिवालय परिसर में स्थित वित्त विभाग के चालक विश्राम गृह एवं निगरानी प्रशाखा-11	कार्यालय	2
3.	वित्त विभाग के ललित भवन स्थित सांख्यिक वित्त एवं लोक उद्यम ब्यूरो का कार्यालय	कार्यालय	1
4.	मुख्य सचिवालय परिसर स्थित एनेक्सी भवन में कार्यरत वित्त (वै०दा०नि०को०) का कार्यालय	कार्यालय	2
5.	मुख्य सचिवालय परिसर स्थित एनेक्सी भवन में कार्यरत शिक्षा वित्त निगम का कार्यालय	कार्यालय	2
6.	आद्रि भवन स्थित षष्ठम राज्य वित्त आयोग का कार्यालय	कार्यालय	1

उपर्युक्त सूचि एवं सफाई कर्मियो की संख्या संभावित है । इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जायेगा ।

*निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः- दिनांक **21.10.2019** के **05:00** बजे शाम तक ।*

*निविदा खुलने की तिथि :- दिनांक **22.10.2019** के **03:00** बजे शाम को ।*

2. निविदा की प्रमुख शर्तेः-

(i) निविदादाता को कम से कम तीन वर्षो का केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा ।

(ii) साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान को भारतीय श्रम नियम के तहत बिहार सरकार कें अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है ।

(iii) साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य होगा ।

(iv) एजेंसी/संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 (Assesment Year 2018-19) का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।

(v) साफ-सफाई का दर प्रति सफाई कर्मी प्रतिमाह (सभी सफाई सामग्री एवं उपकरण सहित) के आधार पर मान्य होगा । (Annexture-A के Format में)

(vi) उक्त कार्यालय/आवासीय कार्यालय एवं परिसर का स्थान परिवर्तित होने अथवा नये कार्यालय जुडने पर भी सफाई कार्य उसी शर्तो के अधीन करना होगा ।

(vii) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा झाड़ू, खास एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।

(viii) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित कार्यालय से साफ-सफाई कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा इसके उपरांत भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा ।

(ix) चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान सत्यापित करा कर अवर सचिव (लेखा) के पास जमा करना होगा ।

(x) सफाई करने का दर एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा । वित्त विभाग चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है । कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में वित्त विभाग संविदा को समाप्त कर सकती है ।

(xi) यदि चयनित एजेंसी के साफ-सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी । यदि हजनि की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है, तो वैसी स्थिति में वित्त विभाग चयनित एजेंसी के विरूद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हजनि के राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी ।

(xii) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xiii) निविदा के साथ निम्न कागजात के स्व-हस्ताक्षरित प्रति निम्न क्रमानुसार संलग्न रहना चाहियेः-

क. Earnest Money Deposit के रूप में 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो "Under Secretary, Finance Department" के पक्ष में Payable होना चाहिए ।

ख. PAN कार्ड का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

ग. GST निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

घ. किसी भी राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का Notarised शपथ-पत्र ।

ड. भारतीय श्रम अधिनियम के तहत बिहार सरकार के अंतर्गत निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

च. GST के अंतर्गत अगस्त -2019 माह के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

(xiv) सभी पृष्ठों पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिये ।

(xv) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में सील करके दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः **"तकनीकी निविदाः वित्त विभाग में साफ-सफाई के कार्य हेतु"** एवं **"वित्तीय निविदाः वित्त विभाग में साफ-सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये एवं इन दो अलग-अलग लिफाफा को एक बड़े लिफाफा के अंदर डालकर उसे सील करके उसके ऊपर **" निविदाः वित्त विभाग में साफ-सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये ।

(xvi) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी । निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस तरह भेजा जाना चाहिये कि विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाय । निविदादाता हाथों हाथ भी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में निविदा जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं ।

<u>कार्य का स्वरूप</u>

(1) एजेन्सी द्वारा भवन के भीतरी एवं बाहरी कैंपस का पूर्ण रूप से Cleaning, Dusting, Mopping इत्यादि का कार्य करना पड़ेगा । इसके अंतर्गत सभी कमरे, बरामदा, सीढ़ी, स्नानघर, शौचालय, छत, पानी का टंकी, गाड़ी पार्किंग स्थल, कैंपस के अंतर्गत नाला, कैंपस स्थित गार्डेन में पानी डालना एवं परिसर के संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करना ।

(2) एजेन्सी के सफाई कर्मी द्वारा परिसर स्थित किसी भी तरह के स्थायी Structure, Fittings, Furniture, Apparatus, Tiles, Pipes, Electrical Fittings का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा । किसी भी तरह का नुकसान प्रतिवेदित किये जाने पर उसके मरम्मति/बदलने का कुल खर्च एजेन्सी से वसूला जायेगा ।